

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमण्डल धरमजयगढ़ (छ0ग0)

☎07766-266599(निवास) 07766-266739(कार्या.) ☎(फैक्स) 07766-266740 ✉E.Mail ID-dfo_dharamjaigarh@rediffmail.com

क्रमांक/मा.चि./2019/ 1660

प्रति,

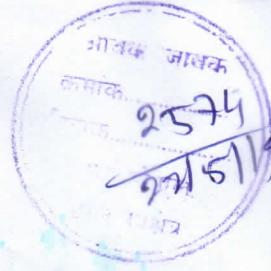
/धरमजयगढ़, दिनांक 17.05.2019

उप महाप्रबंधक,

साउथ इस्टर्न कोल फोल्डस लिमिटेड

छाल उपक्षेत्र SECL नावापारा, छाल

जिला- रायगढ़ (छ.ग.)



विषय:-

Diversion of forest land for non- forest Purpose under forest conservation Act, 1980.

Proposed for Chhal Opencast seam III 6MTY (SUPPLEMENTARY PROPOSAL FOR DIVERSION OF 55.850 HA OF DEEMED FOREST LAND IN ADDITION TO EARLIER PROPOSAL FOR DIVERSION OF 185.017 HA FOREST LAND PROPOSAL No FP/CG/MIN/16237/2015)-55.850ha – regarding

पंजीयन क्रमांक :-FP/CG/MIN/39334/2019

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-259/1158 दिनांक 13.05.2019

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपके संस्थान SECL को छाल खुली खदान Seam III 6 MTY रकबा 185.017 हे. (संरक्षित वनभूमि 176.710 हे. एवं राजस्व वनभूमि 8.307 हे.) हेतु वनभूमि के गैर-वानिकी प्रकरण में अतिरिक्त क्षेत्र रकबा 55.850 हे. (Deemed Forest) का गैर वानिकी उपयोग हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू-प्रबंध रायपुर द्वारा पंजीयन क्रमांक/FP/CG/MIN/39334/2019 आबंटित किया गया है। उक्त प्रकरण में प्रस्ताव तैयार कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर को भेजा जाना है।

अतः आप प्रकरण में पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क की डी.डी. एवं कलेक्टर रायगढ़ से 55.850 हे. वन क्षेत्र को मानकर वन संरक्षण अधिनियम अन्तर्गत प्रस्ताव प्रसंस्कृत किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव की मूल प्रति सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही किया जावे।

संलग्न :-चेक लिस्ट।

वन मण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल

पृ.क्रमांक/मा.चि./2019/ 1661

/धरमजयगढ़, दिनांक 17.05.2019

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल

Cellery Manager, Chhal Area
NO LSR, CSA
✓
Dy.G.M.(M)/Sub Area Manager
Chhal Sub Area, SECL
Raigarh Area



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, सेक्टर - 19, नार्थ ब्लॉक,
अटल नगर रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/एल.एम-331-259/1158

रायपुर, दिनांक 13/05/2019

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वन मंडल - धरमजयगढ़
छत्तीसगढ़

- विषय: - Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Chall Opencast seam III 6 MTY (SUPPLEMENTARY PROPOSAL FOR DIVERSION OF 55.850 HA OF DEEMED FOREST LAND IN ADDITION TO EARLIER PROPOSAL FOR DIVERSION OF 185.017 HA FOREST LAND PROPOSAL No. FP/CG/MIN/16237/2015) - 55.850 ha. - regarding
- संदर्भ: - आनलाईन प्राप्त प्रकरण दिनांक 07.05.2019 (उप महाप्रबंधक खनिज एस.ई.सी.एल छाल उपक्षेत्र पोस्ट छाल जिला रायगढ़ का पत्र क्रमांक/972 दिनांक 07.05.2019) एवं अभिस्वीकृति प्राप्त दिनांक 14/05/2019

-00-

संदर्भ द्वारा इस कार्यालय की आनलाईन आपत्ति दिनांक 29.03.2019 का यूजर ऐजेंसी ने पत्र दिनांक 07.05.2019 अपलोड करते हुए 55.850 हे. DEEMED FOREST LAND के पंजीयन हेतु आवेदन किया है। विषयान्तर्गत SECL, Bilaspur द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत "Chall Opencast seam III 6 MTY" हेतु कुल क्षेत्र 55.850 हे. धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आवेदन नोडल कार्यालय को आनलाईन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क रुपये 6000 + 46,000 = 52,000/- के बैंक ड्राफ्ट (चालान) की स्कैन प्रति आनलाईन संलग्न की गई है। उक्त प्रकरण को स्वीकार कर पंजीयन कर लिया गया है।

प्रकरण का आनलाईन पंजीयन क्रमांक - FP/CG/MIN/39334/2019 आबंटित किया जाता है।

पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क की राशि पी.डी. खाते में जमा होने संबंधी पुष्टि करें एवं प्रकरण के पंजीयन पश्चात् हार्ड कापी में प्रस्ताव प्राप्त कर इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके। आवेदक संस्थान कलेक्टर रायगढ़ से 55.850 हे. वन क्षेत्र को DEEMED FOREST LAND मानकर वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत प्रस्ताव प्रसंस्कृत किये जाने बाबत अनापत्ति प्रस्ताव में संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे।

(अतुल कुमार शुक्ला)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)

छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 13/05/2019

पृ. क्र./ भू-प्रबंध/खनिज/एल.एम-331-259/1158

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- वन मंडलाधिकारी (वन प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यालय) अरण्य भवन, अटल नगर, रायपुर छ.ग.।
- GENERAL MANAGER, SECL, Office of the General Manager SECL Raigarh Area, Post Atarmuda behind Collectorate Raigarh - आनलाईन फार्म "ए" की हस्ताक्षरित प्रति मय संलग्न मूल अभिलेख, डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ वन मंडल कार्यालय में जमा करें।
वर्तमान में किसी भी वन क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)

छत्तीसगढ़